

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।  
आदेशांक-वा0क0अधि0/युगल पीठ/ /2022 दि0::लखनऊ::दि0::अगस्त 17, 2022

--: आदेश :-

मुख्यालय के आदेश संख्या-वा0क0अधि0/युगल पीठ/1102/2022 दिनांक 02.08.2022 द्वारा सदस्य पीठ-1 गाजियाबाद व पीठ-2 गाजियाबाद की युगल पीठ दिनांक 19.09.2022 से 23.09.2022 तक गाजियाबाद में लम्बित वादो के निस्तारण हेतु गठित की गयी थी।

सदस्य पीठ-2 गाजियाबाद ने अपने पत्र संख्या 220/22 दिनांक 03.08.2022 द्वारा उक्त अवधि में अवकाश पर रहने के कारण गठित युगल पीठ को अन्य तिथि के लिये परिवर्तित करने की प्रार्थना की गयी है।

सदस्य पीठ 2 गाजियाबाद के पत्र संख्या 220/22 दिनांक 03.08.2022 को दृष्टिगत रखते हुये मुख्यालय के आदेशांक 1102/22 दिनांक 02.08.2022 द्वारा गाजियाबाद में गठित युगल पीठ दिनांक 19.09.2022 से 23.09.2022 में संशोधन करते हुए दिनांक 12.09.2022 से 17.09.2022 तक युगल पीठ गठित की जाती है। शेष स्थिति यथावत रहे गी।

ह0/ 17.08.2022

(अरविन्द मलिक)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या-वा0क0अधि0/युगल पीठ/ 1206 /2022. तददिनांक::

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1 व 2, गाजियाबाद ।
- 2- प्रधान सहायक/पेशकार/व0सहा(या0भ0)/विवरण/कम्प्यूटर, मुख्यालय ।
- 3- सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी

आज्ञा से,  


(तरुण कुमार)

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,